निर्णय व इजलास सुश्री पूजा मीणा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–72 / 2020
दायरा दिनांक :–28.06.2023
निर्णय दिनांक :– 5.7.24

उनवान

1. सुखवीर आयु 44 वर्ष पुत्र श्री घासी उर्फ घासीलाल
2. सुरेन्द्र आयु 26 वर्ष पुत्र श्री घासी उर्फ घासीलाल
   जााति मीणा निवासी सुन्दलक, तहसील बारां, जिला बारां
3. सुशीला आयु 39 वर्ष पुत्री श्रीघासी उर्फ घासीलाल पत्नि श्री हेमराज जाति मीणा निवासी सुन्दलक, तहसील बारां, हाल निवासी लिसाडी तहसील अन्ता जिला बारां,
4. ममता आयु 36 वर्ष पुत्री श्री घासी उर्फ घासीलाल पत्नि श्री मुकेश जाति मीणा निवासी सुन्दलक, तहसील बारां, हाल निवासी लिसाडी तहसील अन्ता जिला बारां,
5. सुमित्रा आयु 33 वर्ष पुत्री श्री घासी उर्फ घासीलाल पत्नि श्री रमेशचन्द जाति मीणा निवासी सुन्दलक, तहसील बारां, हाल निवासी रामपुरिया तहसील सांगोद जिला कोटा
6. रेखा आयु 29 वर्ष पुत्री श्री घासी उर्फ घासीलाल पत्नि श्री हेमन्त मीणा जाति निवासी सुन्दलक, तहसील बारां, हाल निवासी सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

–वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब, बारां जिला बारां (राज0)

–प्रतिवादीगण

दावा धारा 88, 89, 90, राज0 टी एक्ट एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

निर्णय दिनांक :– 5.7.24

अभिभाषक उपस्थित :– 1 श्री जितेन्द्र नागर–प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, राज0 टी एक्ट एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट विरुद्व प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल सुन्दलक पटवार हल्का सुन्दलक तहसील बारां जिला बारां में खाता संख्या नया 47 पुराना 47 में आराजी खसरा नं0 726 रुकबा 0.10 है0 स्थित है। उक्त आराजी ही वाद का विषयवस्तु है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया हैं। वाद पत्र में वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

वादीगण के पिता घासी पुत्र लक्ष्मीनारायण की खातेदारी में अंकित है। वादीगण के पिता घासी का स्वर्गवास हो चुका है तथा हम वादीगण उनके जायज वारिस एवं कायम मुकामान है। वादी के पिता घासी की मृत्यु के बाद से हम वादीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। तथा प्रतिवर्ष फसल बोते व काटते चले आ रहे है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम सहवन से घासी पुत्र लक्ष्मीनारायण गलत दर्ज कर दिया गया है। जबकि वादीगण के पिता का वास्तविक नाम घासी पुत्र किशोर है, तथा सरकारी रिकार्ड मृत्यु–प्रमाण–पत्र, फोटो पहचान पत्र, बैक खाता इत्यादि में वादीगण के पिता का नाम घासी पुत्र किशोर अंकित हैं।

वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित होने से वादीगण सरकारी सुविधाऐ प्राप्त करने में वंचित हो रहा है। अस्तु वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में घासी पुत्र लक्ष्मीनारायण जो गलत अंकित है, को दुरुस्त करवाकर वादीगण अपने पिता का नाम घासी पुत्र किशोर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की घोष्णा की करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है। वाद कारण अन्तिम बार 12.06. 2023 को प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारियो/अधिकारियो द्वारा निवेदन करने पर वादीगण के पिता का नाम दुरुस्त करने से साफ इन्कार करने पर तहसील बारां क्षेत्र में पंदा हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादी को जर्ये समन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा रिपोर्ट दी गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम सुन्दलक सम्वत 2072–75 खाता संख्या 47, पेश की गई फोटो प्रति आधार कार्ड, बैक पास बुक, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेश किया गया।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा लिखित बहस पेश की गई। लिखित बहस में बताया कि ग्राम सुन्दलक पटवार हल्का सुन्दलक तहसील बारां में जमाबन्दी खाता संख्या 47 में खसरा नं0 726 रुकबा 0.10 हे0 आराजी स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में घासी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा0 देह खातेदार के रुप वादीगण के पिता के नाम दर्ज है, जबकि वादीगण के पिता का नाम घांसी पुत्र किशोर है जिसकी पुष्टि वादीगण के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र, बैक डायरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा बारां व पहचान पत्र से होती है। इसलिऐ वादीगण ने ग्राम सुन्दलक पटवार हल्का सुन्दलक तहसील बारां में जमाबन्दी खाता संख्या 47 में खसरा नं0 726 रुकबा 0.10 हे0 के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम घांसी पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा0 देह खातेदार के स्थान पर घांसी पुत्र किशोर हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा0 देह खातेदार दर्ज करवाने के वैधानिक अधिकारी एवं नालिसी है। लिखित बहस श्रीमान की सेवा में पेश कर निवेदन है कि ग्राम सुन्दलक पटवार हल्का सुन्दलक तहसील बारां में जमाबन्दी खाता संख्या 47 में खसरा नं0 726 रुकबा 0.10 हे0 आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम घांसी पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

लक्ष्मीनारायण हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा0 देह खातेदार के स्थान पर घांसी पुत्र किशोर हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा0 देह खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई, पत्रावलीएवं रिकार्ड प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम सुन्दलक सम्वत 2072–75 खाता संख्या 47 घासी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा के खातेदारी में दर्ज है। प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 29.08.2009 को होना पाया जाता है। तहसीलदार बारां सं जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई, जॉच रिपोर्ट में तहसीलदार बारां के बताया कि ग्राम सुन्दलक की वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 47 पर वादीगणो सुखवीर वगे0 के पिता के नाम आराजी खसरा नं0 726 रुकबा 0.10 हे0 भूमि घासी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगणो द्वारा पेश किये गये पिता के पहचान दस्तावेज वोटर आईडी कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैक खाता पास बुक, में वादीगणो के पिता का नाम घासी पुत्र किशोर दर्ज है। वादीगणो के पिता के नाम के संबंध में ग्रामवासियो से जानकारी प्राप्त की गई, ग्रामवासियो द्वारा वादीगणो के पिता का नाम घासी पुत्र किशोर ही बताया गया, तहसीलदार बारां की रिपोर्ट एवं वादीगणो द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से यह साबित होता है, कि वादीगण के पिता का नाम घासीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण न होकर घासीलाल पुत्र किशोर था, वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजी वाके ग्राम सुन्दलक तहसील बारां के खसरा नं0 726 रुकबा 0.10 हे0 में दर्ज वादीगण के पिता का नाम घासी पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर घासीलाल पुत्र किशोर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते है, तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पूजा मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 84/2023	अन्तर्गत धारा 88, 89,92ए आर टी एक्ट 136 एल आर एक्ट	निर्णय दिनांकः– 5.7.24
समक्ष : सुश्री पूजा मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री जितेन्द्र नागर	अभिभाषक प्रतिवादीः–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. सुखवीर आयु 44 वर्ष पुत्र श्री घासी उर्फ घासीलाल
2. सुरेन्द्र आयु 26 वर्ष पुत्र श्री घासी उर्फ घासीलाल
   जाति मीणा निवासी सुन्दलक, तहसील बारां, जिला बारां
3. सुशीला आयु 39 वर्ष पुत्री श्रीघासी उर्फ घासीलाल पत्नि श्री हेमराज जाति मीणा निवासी सुन्दलक, तहसील बारां, हाल निवासी लिसाडी तहसील अन्ता जिला बारां,
4. ममता आयु 36 वर्ष पुत्री श्री घासी उर्फ घासीलाल पत्नि श्री मुकेश जाति मीणा निवासी सुन्दलक, तहसील बारां, हाल निवासी लिसाडी तहसील अन्ता जिला बारां,
5. सुमित्रा आयु 33 वर्ष पुत्री श्री घासी उर्फ घासीलाल पत्नि श्री रमेशचन्द जाति मीणा निवासी सुन्दलक, तहसील बारां, हाल निवासी रामपुरिया तहसील सांगोद जिला कोटा
6. रेखा आयु 29 वर्ष पुत्री श्री घासी उर्फ घासीलाल पत्नि श्री हेमन्त मीणा जाति निवासी सुन्दलक, तहसील बारां, हाल निवासी सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

–वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब, बारां जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजी वाके ग्राम सुन्दलक तहसील बारां के खसरा नं0 726 रुकबा 0.10 हे0 में दर्ज वादीगण के पिता का नाम घासी पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर घासीलाल पुत्र किशोर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते है,

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 5.7.24 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Scanned with CamScanner